

2023/178

श्रीमान्जी


निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया विमला देवी पत्नी रामनिवास गोयल निवासी 1014अग्रसैन नगर तहसील व श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रुफ पेश निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत एक वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखा जा

प्रार्थीया को गवाहान चन्द्रेश कुमार गोयल पुत्र रामनिवास एवं मनोज गोयल पुत्र रामनिवास ने पहचाना है। प्रार्थीया वं गवाहों की शिनाख्त श्री अजय अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है एवं वकालतनामा पेश किया है।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा सेफ कस्टडी में रखे जाने के आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

A handwritten signature in blue ink is written over the text. Below the signature, the date '6/11/23' is written in blue ink.